# विभाजन की त्रासदी और स्त्री

•प्रो. शंभु गुप्त
अवकाश प्राप्त, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा, महाराष्ट्र

**सारांश**

भारत-विभाजन की त्रासदी का जेंडरगत अध्ययन : एक आवश्यक लेखकीय कार्यभार

भारत-विभाजन की ऐतिहासिक घटना का स्त्रियों की जिंदगियों पर क्या प्रभाव पड़ा; यह देखना दरअसल एक त्रासदी से गुज़रने जैसा अनुभव है। वैसे तो किसी भी देश के विभाजन का उस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्त्रियों पर इसके कुछ भिन्न प्रभाव एवं परिणाम देखे जाते हैं. ये प्रभाव व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक सब प्रकार के हो सकते हैं. इन परिणामों और प्रभावों का जेंडरगत अध्ययन एक आवश्यक लेखकीय कार्यभार है.

यह अध्ययन इन चार विषय-विस्तार बिन्दुओं के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा-

1. भारत का विभाजन किन विशेष स्थिति-परिस्थितियों के बीच हुआ? ये स्थिति-परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुईं और इनके पीछे कौन लोग थे. इसके अतिरिक्त यह भी कि भारत-विभाजन के क्या परिणाम हुए?
2. विभाजन की त्रासदी एक त्रासदी कैसे है? ऐसी ट्रेजेडी दुनिया में दूसरी नहीं है?
3. विभाजन के दौरान स्त्री पर हुई हिंसा के विविध रूपों का विस्तृत विवरण और विश्लेषण ?
4. विभाजन की त्रासदी का स्त्रियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का मूल्याङ्कन करना |

विभाजन की त्रासदी का सबसे सांघातिक और शर्मनाक पहलू स्त्रियों पर की गई बेतरह हिंसा है। विभाजन के समय और उसके बाद स्त्रियों पर की गई हिंसा को, उसके विभिन्न रूपों को विशेष रूप से उद्घाटित किया जाना प्राथमिक तौर पर ज़रूरी है. यहाँ हमने इस पर ध्यान देने की कोशिश की है।

**बीज शब्द**

भारत-विभाजन जेंडरजेंडरगत अध्ययन इतिहास स्त्रीवाद त्रासदी स्त्री पर हिंसा साम्प्रदायिक, ध्रुवीकरण, पितृसत्ता, यौन हिंसा, मुस्लिम लीग, हिन्दूवाद, पाकिस्तान, शरणार्थी, मुहाज़िर, स्थान्तरण, साम्प्रदायिक दंगा, भारतीय उपमहाद्वीप, धार्मिक अतिवाद,पार्टीशन, कुलदीप नैयर,DeccanHerald 1947, ऑनर किलिंग, युद्धबंदी, बलात्कार, विस्थापन, सामूहिक आत्महत्या, इतिहास का पुनरवलोकन इत्यादि |

हिंसा के अतिरिक्त एक अनवरत जारी त्रासदी के बतौर यहाँ विभाजन को लिया गया है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की प्रथा और परम्परा आज भी लगातार जारी है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि विभाजन की प्रक्रिया आज सत्तर साल के बाद भी जारी है!इस सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर हुए ताज़ातरीनविचार-विमर्श, संगोष्ठियों इत्यादि में हुई चर्चाको विशेषतः देखा जा सकता है। हमने इसी विचार-विमर्श और चर्चा को अपना सान्दर्भिक आधार बनाया है. एतत्संबंधीसामग्री नेट तथा कुछ इधर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में उपलब्ध है। समकालीन हिन्दी कविता एवं कहानीमें इस मुद्दे पर पर्याप्त सामग्री मौज़ूद है। बिना साहित्यिक संदर्भों के कोई विषय-विश्लेषण अधूरा ही रहता है।

## विभाजन की घटना और जेंडर का सन्दर्भ

प्रास्थानिक तौर पर हमें यह मान कर चलना चाहिए कि देश में घटी किसी भी घटना का प्रभाव स्त्रियों पर भिन्न प्रकार से पड़ता है; वह घटना चाहे फिर राजनीतिक हो,आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या किसी और प्रकार की। स्त्रियों पर उसका एक भिन्न ही प्रभाव पड़ता है। सत्तर साल पहले घटी भारत-विभाजन की घटना का भी स्त्रियों पर सबसे अलग प्रभाव पड़ा था। इस प्रभाव के मूल में जेंडर की स्थितियाँ हैं.

भारत जैसे परम्परावादी, रूढ़िवादी, पिछड़े, पौराणिक समाजों में पितृसत्ता की स्थितियाँ अत्यंत दृढ़ और बहुव्यापी हैं। स्त्री के प्रति भारत जैसे देशों में अभी भी देहवादी, सेक्सवादी, लम्पट रवैया अधिकतर देखने में आता है। इसके आलावा स्त्री को उसकी जाति, वर्ग, कुटुम्ब, देश इत्यादि का प्रतीक-प्रतिनिधि मानकर उसे अपमानित, ज़लील, पददलित कर उसकी पूरी जाति, वर्ग, कुटुम्ब, देश इत्यादि से 'बदला' लिया जाता है। स्त्री को निशाना बनाकर बदला लेने की यह प्रथा और परम्परा पूरी दुनिया में बहुत पुरानी और बहुप्रचलित है। आज भी इसके उदाहरण पर्याप्त देखने में आते हैं।

विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में एक-दूसरे के देशों की औरतों के साथ बेतरह की गई यौनिक बदसलूकियाँ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। साम्प्रदायिक दंगों में भी स्त्रियों के साथ इसी तरह की यौन हिंसा आए दिन देखने में आती है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, अगवा कर इधर-उधर कर देना इत्यादि वारदातें स्त्रियों के साथ होती ही रहती हैं। विभाजन के समय ऐसी घटनाएँ काफी बड़ी संख्या में हुईं और स्त्रियाँ इनकी भीषण शिकार हुईं। इस सब पर विज्ञ और विस्तार-पूर्वक विचार किए बिना विभाजन की त्रासदी का असल रूप पहचान में न आएगा। यौनिकता स्त्री की यदि सबसे बड़ी विशेषता है तो पितृसत्ता के मानकों के तहत यही उसकी सबसे बड़ी कमी और कमजोरी भी बन जाती है!

## भारत-विभाजन की स्थिति-परिस्थितयाँ और परिणाम अर्थात् इन्सानी खून से रंगा पन्ना

भारत का विभाजन माउन्टबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। इस अधिनियम में कहा गया है कि भारत व पाकिस्तान स्वायत्त बना दिए जाएँगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसी के साथ बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया.

अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ से ही फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उनकी यह नीति धर्म के मामले में सबसे घातक थी. उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को इस सीमा तक परस्पर विरोधी बना दिया कि वे एक साथ रहने के विचार के ही दुश्मन हो गए। मुहम्मद अली जिन्ना ने लाहोर में 1940 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में साफ-साफ कहा कि वे दो अलग राष्ट्र चाहते हैं।हिंदूवादी नेताओं और संगठनों ने भी धार्मिक अलगाव को बढ़ाने में भरपूर योगदान किया। कांग्रेस और विशेषतः महात्मा गाँधी इसके विरोधी थे; हालाँकि आगे चलकर दोनों को इसे स्वीकार करना पड़ा।

विभाजन के समय पूरे देश में भयंकर दंगे-फ़साद हुए।सीमावर्ती प्रान्तों और इलाक़ों में भारी नरसंहार हुआ।इस विभाजन में लाखों की संख्या में आबादियों का स्थान्तरण हुआ। लाखों की संख्या में स्त्री-पुरुष शरणार्थी बने। भारत में तो पाकिस्तान से आए शरणार्थी शीघ्र घुलमिल गए लेकिन पाकिस्तान गए मुसलमान आज भी वहाँ 'मुहाज़िर' कहलाते हैं और उन्हें पराया समझा जाता है।

विभाजन के समय कई लाख लोग मारे गए थे। कुछ तो दंगा-फ़सादों में तथा कुछ सीमाओं पर स्थान्तरण के समय।लाखों औरतें बलात्कार, हत्या, हिंसा की शिकार हुईं।अनगिनत स्त्रियाँ विक्षिप्त हो गईं।बहुतों का अपहरण हुआ और गायब कर दी गईं। धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर देश के बँटवारे ने इन दोनों देशों के बीच एक ऐसी राजनैतिक खाई पैदा की कि आज भी सम्बन्धों में खटास क़ायम है।दोनों देशों की आम जनता एक-दूसरे को बहुत चाहती है,दोनों देशों की आम जनता के बीच अनेक प्रकार के पारिवारिक व अन्य सम्बन्ध अभी भी ज़ारी हैं, किन्तु दोनों देशों की राजनीतिक ज़मात दोनों देशों के बीच की खाई को पटने नहीं देना चाहती। विभाजन की त्रासदी का सबसे अधिक अभिशाप दोनों तरफ़ की स्त्रियों ने झेला। जिसके अन्तर्गत स्त्रियों का अपहरण, बलात्कार, अन्य अनेक प्रकार की यौन-हिंसा और अत्याचार इत्यादि बड़े पैमाने पर अवघटित हुए।विभाजन के समय, जब आबादियों का बड़े पैमाने पर परस्पर स्थानांतरण हुआ, दंगे-बलवे हुए, तो उनमें औरतों को ख़ास तौर से निशाना बनाया गया था।

विभाजन की त्रासदी के परिणामों का लेखन और अंकन इतिहास की किताबों में तो मिलता ही है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के भारतीय एवं पाकिस्तानी साहित्य में भी बराबर मिलता है। इन भाषाओं में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में प्रभूत संख्या में ऐसे साहित्य की रचना हुई है, जो देश-विभाजन की विषयवस्तु को आत्मसात किए हुए है।इनमें उपन्यास, कहानी, कविता, रिपोर्ताज़ आदि विधाओं में मुख्यतः लिखा गया। इन साहित्यिक कृतियों में बहुविध रूप से विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। विभाजन के कारण, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की उसमें भूमिका, विभिन्न तबकों की दुरभिसंधियाँ, कूटनीतियाँ, अंग्रेज़ी हुक्मरानों की चालाकियाँ, बड़े राजनैतिक नेताओं की गतिविधियों इत्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन इन साहित्यिक कृतियों में मिलता है। इन साहित्यिक कृतियों में विभाजन के आस-पास का समय जैसे मूर्तित हो गया है। उक्त विषय-सन्दर्भों के अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगे, दंगों की क्रूरता, लोगों का वहशीपन भी बड़े पैमाने पर इन कृतियों में चित्रित हुआ है।यह भारतीय उपमहाद्वीपके लम्बे इतिहास का इन्सानी खून से रंगा पन्ना है, जिसकी याद बार-बार ताज़ा हो जाती है।

## भारत विभाजन की अन्तहीन और अनवरत त्रासदी : पहले से ज़्यादा बढ़ा धार्मिक अतिवाद

भारत विभाजन की त्रासदी विश्व इतिहास की गम्भीरतम घटनाओं में से एक रही है। इस विभाजन से किसे क्या मिला? इस मुद्दे पर विचार करते हैं तो इतिहास की तरफ़ देखकर भारी पीड़ा से मन भर जाता है। प्रसिद्ध पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद कुलदीप नैयर; जो स्वयं सियालकोट से विस्थापित होकर भारत आए थे;ने आज से लगभग तीन साल पहले के लिखे अपने एक लेख 'The tragedy of Partition' में लिखा है कि जब उन्होंने आज़ादी मिलने (यानी विभाजन) के 32 दिन बाद अपने घर से चलकर सीमा को पार किया तो हालाँकि हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े और लूटपाट तो बन्द हो गए थे लेकिन मैंने देखा कि अपने छोटे-मोटे सामान को अपने सिर पर लादे इधर-उधर होते अनेक स्त्री-पुरुषों के चेहरों पर अभी भी दर्द की लकीरें थीं। उनके चेहरे तनाव से ग्रस्त थे। उनके पीछे-पीछे उनके डर से सहमे हुए बच्चे चले जा रहे थे! (द्रष्टव्य: The Express TRIBUNE; कराची, पाकिस्तान; 15 अगस्त, 2014)। आगे इस लेख में उन्होंने लिखा है कि "विभाजन की त्रासदी इतनी गहरी है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. ××× यह ग्रीक ट्रेजेडी की तरह थी." (वही)। इस त्रासदी का सबसे भयावह पक्ष यह था कि "हिन्दू और मुसलमान दोनों ईश्वर में आस्था के नाम पर, ईश्वर और अल्लाह का नाम- 'हर-हर महादेव'तथा 'या अली'- लेते हुए एक-दूसरे के तलवार और बरछी घोंप रहे थे." (वही)। इस लेख में उन्होंने यह भी लिखा कि विभाजन में हुई हिंसा और क्रूरता के सबसे अधिक शिकार दोनों ही तरफ़ की स्त्रियाँ और बच्चे हुए। (वही)।

भारत-विभाजन एक अन्तहीन और अनवरत त्रासदी के बतौर सामने आता है। इतिहासकार सलिल मिश्र ने 12 अगस्त 2012 के DeccanHerald (SundayHerald) में प्रकाशित अपने 'The tregedy of Partition' शीर्षक लेख में लिखा है कि भारत का विभाजन एक अन्तहीन और निरन्तर जारी रहने वाली त्रासदी है।यह दरअसल एक प्रक्रिया है, जो 1947 में तो केवल शुरू हुई थी; वस्तुतः यह आज भी जारी है- "विभाजन कोई अचानक घटी घटना नहीं थी. इसके पीछे और आगे घटनाओं की एक लम्बी श्रृंखला है। इसके नतीज़े आज भी हम भुगत रहे हैं।"हिन्दी कथाकार स्वयं प्रकाश की एक कहानी कुछ समय पहले आई थी- 'पार्टीशन'। इस कहानी में अन्त में एक वाक्य आता है, जिसका तात्पर्य भी लगभग यही है- "आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था! हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है..." (www.hindisamay.com)। हिन्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक और वैचारिक पत्रिका 'पहल' में अभी-अभी एक युवा कवि सुधांशु फिरदौस (दिल्ली) की एक लम्बी कविता छपी है- 'सूखते तालाब की मुरगाबियाँ'। इस कविता में विभाजन की निरन्तरता को बड़ी ही हृदयहारी पीड़ा के साथ उकेरा गया है। कवि लिखता है कि भारत-विभाजन की कारणगत परिस्थितियाँ आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान हैं और ज़ारी हैं।साम्प्रदायिक वैमनस्य, इस वैमनस्य से पैदा होने वाले दंगे, क्रूरता और हिंसा, विभाजनकारी राजनीति; इत्यादि स्थितियाँ आज भी ज़ारी हैं और ज्यों की त्यों हैं-

कहाँ गए वे लोग
जिनकी दुहाई हर सियासी पाप के पहले आज भी देते रहते हैं हुक्मरान
सियासत तब भी देखती थी हिन्दू-मुसलमान
सियासत अब भी देखती है हिन्दू-मुसलमान
लगाओ नारे थोड़े और ज़ोर से मजलिसों में तकसीम के
क्या हुआ जो तुमने पा लिया है अपना पाकिस्तान
क्या हुआ जो हमने पा लिया हिन्दुस्तान

क्या अब नहीं होता कहीं कोई दंगा?
क्या अब नहीं होता कहीं कोई कत्लेआम?
क्या अब नहीं सोता भूखा कहीं कोई इन्सान!
(पहल;सम्पादक- ज्ञानरंजन, जबलपुर (म.प्र.); अंक 109; अक्तूबर 2017; पृष्ठ- 24)।

भारतीय समाज की अन्तःसंरचना दरअसल कुछ ऐसी है कि वहाँ किसी समुदाय को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक साँझी संस्कृति वाला समाज है।धर्म के आधार पर किया गया कोई भी विभाजन यहाँ अव्यावहारिक और ट्रेजिक ही होगा।प्रसिद्ध पाकिस्तानी इतिहासकार आयेशाजलाल ने लिखा है कि "विभाजन बीसवीं शताब्दी के दक्षिण एशिया की सबसे केन्द्रीय ऐतिहासिक घटना है। यह एक ऐसा वाकया हुआ है, जिसकी न शुरुआत का पता चलता है, न अन्त का। उत्तर-औपनिवेशिक दक्षिण एशिया जब भी अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करेगा, विभाजन का उस पर ज़रूर असर दिखेगा।" (विलियम डेलरिम्पल; 'The Bloody Legacy of Indian Partition'; The NewYorker; 29 जून 2015)

विभाजन एक निरन्तर त्रासदी की तरह लगातार जारी रहा है। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान छोटे-बड़े युद्धों में तीन बार आमने-सामने भिड़ चुके हैं। इसी क्रम में 1971 में पाकिस्तान का एक बार फिर विभाजन हुआ और बांग्ला देश बना।बांग्ला देश के निर्माण में भारत की केन्द्रीय भूमिका थी। विभाजन के बाद इन दोनों-तीनों देशों के बीच तनाव की स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर एक अन्तहीन समस्या की तरह बना हुआ है। इसे लेकर कई युद्ध तो हो ही चुके हैं, इसके अलावा पिछले तीस साल से पाकिस्तान की सेना तथा ख़ुफ़िया एजेंसी आई एस आई द्वारा भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी-वार निरन्तर चालू किया हुआ है।

विभाजन की त्रासदी अभी ज़ारी है। आज भी स्थितियाँ बदली नहीं हैं। बल्कि आज तो स्थितियाँ और ज़्यादा बदतर हुई हैं। आज की तारीख में दोनों देशों के बीच बातचीत ही बन्द है।विलिय मडेलरिम्पल ने अपने उक्त लेख के अन्त में लिखा है कि- "आज की स्थितियाँ भी ज़्यादा उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। दिल्ली में इस समय एक ऐसी कट्टर दक्षिणपन्थी सरकार है जिसने इस्लामाबाद से बातचीत बरतरफ़ कर दी है। दोनों देश इस समय धार्मिक अतिवाद में पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा गिरफ़्त में हैं। एक तरह से 1947 अभी भी ज़ारी है। वह ख़त्म नहीं हुआ है।"('The Bloody Legacy of Indian Partition'; The New Yorker का 29 जून 2015 का अंक)।

## विभाजन की हिंसा : धर्म ने किस क़दर लोगों को पागल बना दिया!

भारत-विभाजन की त्रासदी का सबसे दु:खद पक्ष है, इसमें हुई हिंसा का स्वरूप और चरित्र। यह हिंसा पूर्ववर्ती व आम हिंसा से अलग और विशिष्ट प्रकार की थी। विभाजन की इस हिंसा की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ रहीं, जो इसे अन्य प्रकार की हिंसाओं से अलग करती हैं-

1. यह हिंसा सामूहिक या समूहबद्ध थी।ठट्ठ के ठट्ठ एक-दूसरे पर टूट पड़ते थे और जो भी घरेलू क़िस्म का हथियार हाथ लगा, उसी से 'दुश्मन' पर पिल पड़ते थे; जैसे तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी, लाठी, बरछी; आदि-आदि।

2. इस हिंसा में शामिल लोग पेशेवराना हत्यारे नहीं थे, अपितु साधारण लोग थे।ये अधिकांशतः वे लोग थे जो अमूमन शान्तिप्रिय होते हैं। लेकिन विभाजन के दंगों में ये अचानक वहशी हो उठे।

3. इतिहासकार सलिल मिश्र ने इस हिंसा के एक विशिष्ट चरित्र की ओर इंगित किया है। यह विशिष्ट चरित्र है- विकल्पहीनता।सलिल मिश्र ने अपने लेख 'ThetregedyofPartition' में लिखा है कि "उन्होंने किसी आवेश या घृणा के चलते सामने वाले को नहीं मारा। बल्कि इस अन्देशे में मारा कि यदि मैंने इसे नहीं मारा तो यह मुझे मार डालेगा। उन्होंने मारे जाने, ख़ुद मरने के स्थान पर सामने वाले को मारना ज़्यादा बेहतर समझा।" (DeccanHerald (SundayHerald); 12 अगस्त 2012)।

4. इस हिंसा का स्वरूप साम्प्रदायिक था। इसमें एक तरफ़ हिन्दू और सिख थे तो दूसरी तरफ़ मुसलमान थे। विशेषतः सीमावर्ती इलाक़ों में हिंसा ज़्यादा हुई। यह हिंसा एक-दूसरे को नेस्तनाबूद करने के मक़सद से की गई थी। यह हिंसा सामने वाले पर केवल हथियारों से हमले के रूप में नहीं थी बल्कि घर, दुकान, या जो कुछ सामने दिखे, उसे आग के हवाले कर देने, जलाकर राख कर देने के रूप में भी थी।यह जाति-संहार (genocide) के रूप में सामने आई। TheNewYorker के 29 जून 2015 के अंक में प्रकाशित अपने 'The Bloody Legacy of Indian Partition' शीर्षक लेख में William Dalrymple ने लिखा है कि "यह

परस्पर जाति-संहार नितान्त अप्रत्याशित था क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था।"आगे उन्होंने यह भी लिखा कि इस हिंसा के कई रूप थे। इसने सारी हदें पार कर दीं- "यह हत्याकाण्ड बहुत ही प्रचण्ड था। इसमें सामूहिक हत्याएँ, आगजनी, बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन, सामूहिक अपहरण और बर्बर यौनिक हिंसा; यह सब-कुछ हुआ।" (http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple)।

5. विलियमडेलरिम्पल ने अपने इसी लेख में निसिद हजारी द्वारा अपनी पुस्तक 'Midnight's Furies'में दर्ज़ इस तथ्य का उल्लेख किया है कि विभाजन की हिंसा की बर्बरता नाज़ियों के डेथकेम्पों से भी बदतर थी।निसिद हजारी ने लिखा है कि गर्भवती महिलाओं के स्तन काट दिए गए और उनका पेट चीर कर गर्भस्थ शिशु को निकालकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया तथा शिशुओं को सलाखों पर शब्दशः भूना गया।[सन 2002 के गुजरात दंगों में एक बार फिर ऐसे दृश्य दिखाई दिए थे।]।

हिंसा का यह रूप अन्य हिंसाओं से भिन्न है।यह हिंसा यहीं देखने को मिली। जब यह बवाल थम गया और चीजें पटरी पर आईं तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कैसे इतनी बर्बरता कर दी! भारतीय उपमहाद्वीप के लोग सामान्यतः शान्तिप्रिय हैं। किन्तु धर्म ने जैसे उन्हें हिंसक पागल बना दिया! विद्वानों का मत है कि दुनिया में कहीं भी अन्यत्र ऐसी विभाजन की हिंसा नहीं हुई।

## विभाजन की त्रासदी और स्त्री : हिंसा का जेंडरगत विभेद अर्थात् बर्बरता

विभाजन की त्रासदी का सबसे सांघातिक प्रभाव स्त्रियों पर पड़ा।इतिहास की किसी भी घटना का प्रभाव जेंडर कारणों से स्त्रियों और पुरुषों पर अलग-अलग पड़ता है। पुरुषों पर की जाने वाली और स्त्रियों पर की जाने वाली हिंसा में अन्तर होता है।पुरुषों पर जहाँ मारपीट, हत्या, अंग-भंग इत्यादि होती है तो स्त्रियों पर इनके साथ-साथ अपहरण, दासीत्व,एकल/सामूहिक बलात्कार, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की हत्या, पति एवं बच्चों की हत्या कर उन्हें निराश्रित कर देना; इत्यादि-इत्यादि भी होता है।किसी भी जातिवादी, साम्प्रदायिक, कबीलाई दंगे-फ़सादों में स्त्रियाँ इसी तरह की कुछ अलग क़िस्म की जेंडर हिंसा की शिकार होती हैं। भारत-विभाजन दुनिया की एक बड़ी त्रासदी मानी जाती है। इसे एक भयंकर त्रासदी बनाने में स्त्रियों पर हुई हिंसा का एक बड़ा हाथ है।स्त्रियों पर हिंसा, यौन-हिंसा, के जितने रूप यहाँ मिले, वे आज तक अन्यत्र कहीं नहीं देखे गए। भारत-विभाजन के समय स्त्रियों पर हुई व्यापक क्रूर हिंसा आज भी बहस और विचार का मुद्दा बना हुआ है।

विभाजन के दौरान स्त्रियों पर हुई हिंसा, अत्याचार, यौन-हिंसा, जेंडर के आधार पर हुए अत्याचार-अन्याय इत्यादि को निम्नलिखित बिन्दुओं में निबद्ध किया जा सकता है-

1. विभाजन के दौरान ऑनरकिलिंग के दृश्य भी दिखाई दिए थे। ये हिन्दुस्तान में नये युग के ऑनरकिलिंग के उदाहरण माने जा सकते हैं।इसके अन्तर्गत इस आशंका के डर से कि हमारे घर की औरतें कहीं किसी विधर्मी के हाथ न पड़ जाएँ, घर वालों ने ख़ुद अपने घर की स्त्रियों को मौत की नींद सुला दिया।सलिल मिश्र ने अपने लेख 'The tregedy of Partition' में लिखा है कि "पितृसत्तावादियों ने अपने घर की औरतों को, किसी और के द्वारा बेइज़्ज़त हो जाने से बचाने के लिए स्वयं ही मौत के घाट उतार दिया। उन्हें अपने घर की औरतों को मार देना एक मात्र सम्मानजनक विकल्प लगा होगा!" (DeccanHerald (SundayHerald; 12 अगस्त 2012)।उर्वशी बुटालिया ने मौखिक इतिहास-पद्धति पर लिखी गई अपनी किताब 'The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India' में अपने घर की स्त्रियों को अपने ही घर के लोगों द्वारा मार दिए जाने का विस्तार से विवेचन किया है।Scroll.In पर प्रकाशित अपने एक लम्बे साक्षात्कार 'Men killed their own women and children during Partition, but freedom overshadowed that horror' में उन्होंने लिखा- "पुरुषों को इस बात का डर था कि जब वे बचकर भाग रहे होंगे, घोड़ों पर चढ़ रहे होंगे, हथियार चला रहे होंगे, तेजी से निकल जा रहे होंगे; तब स्त्रियाँ और बच्चे ऐसा नहीं कर सकेंगे।" (अशरफ, एजाज़: QuartzIndia; 14 अगस्त 2016)।उर्वशी बुटालिया ने अपनी इसी किताब में इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि अपने घर की स्त्रियों को अपने ही घर के लोगों द्वारा मार दिए जाने का एक कारण यह भी रहा कि स्त्रियों को अपनी कौम/समाज/समुदाय की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता रहा है। यह प्रतिष्ठा

बची रहे, दूसरी कौम/समुदाय/समाज के लोगों के हाथ वे न पड़ें, इसलिए उन्हें ख़ुद मार देना ही सबसे उचित है!उन्होंने कहा कि-"स्त्रियाँ अपने समुदाय की प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती रही हैं। आज भी मानी जाती हैं। मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं और सिखों में यह अधिक देखा जाता है। उन लोगों को डर था कि उनकी औरतें अपहृत की जा सकती हैं, उनका बलात्कार हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वे दूसरे समुदाय के रक्त से संक्रमित हो जा सकती हैं।" (वही)।

2. स्त्रियों को अपनी जाति की अस्मिता या इज्ज़त का प्रतीक माना जाता है। ऐसी वैचारिक मान्यता परम्परागत रूप से प्रायः हर समाज में पाई जाती है कि किसी समाज से बदला लेना है या उसे कोई सबक़ सिखाना है या उसे उसके किए की सज़ा देनी है,तो उस समाज की स्त्रियों को कुचलना, उन पर अत्याचार, हिंसा, उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दो; वह समाज ख़ुद-ब-ख़ुद तुम्हारे अंकुश-तले आ जाएगा!इस आधार पर हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों के धार्मिक और साम्प्रदायिक रूप से वहशी हुए पुरुषों ने विधर्मी समुदाय की स्त्रियों पर भरपूर और भयंकर यौन-हिंसा की। इसमें बलात्कार सबसे जघन्य हिंसा थी। यह क्रम दरअसल इस प्रकार हुआ- पहले धर-पकड़ फिर अपहरण, फिर बलात्कार और फिर अन्त में हिंसा की इन्तेहा के रूप में कहीं-कहीं उसकी हत्या! इस प्रक्रिया से विधर्मी समुदाय के साथ बदला पूरा हुआ! लगभग 70,000 स्त्रियों के साथ यह सब हुआ। सलिल मिश्र ने अपने उक्त लेख 'The tregedy of Partition' में एक स्थान पर लिखा है कि "लगभग 70,000 स्त्रियाँ पकड़ी गईं। उनका अपहरण हुआ और फिर उन पर बलात्कार हुआ। दूसरे धर्म की स्त्री का अपहरण उस धार्मिक समुदाय से बदला लेने का एक मान्य रास्ता बन गया था।" (DeccanHerald (SundayHerald; 12 अगस्त 2012)।उर्वशी बुटालिया ने भी अपनी किताब 'The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India' में इस तथ्य को रेखांकित किया है। उन्होंने लिखा है कि "स्त्रियाँ अपने समुदाय की प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती रही हैं। आज भी मानी जाती हैं।"(द्रष्टव्य :अशरफ, एजाज़: QuartzIndia; 14 अगस्त 2016)।कुछ लेखक/ इतिहासकार ऐसी स्त्रियों की संख्या 1,00,000 तक मानते/ मानती हैं।

3. भारत-विभाजन में जनसंख्यायों के विस्थापन की परिघटना में स्त्रियों के साथ कई अमानवीय और क्रूर मज़ाक हुए। ऊपर जिन अपहृत स्त्रियों की चर्चा हुई, उनके साथ एक के बाद एक कई ज्यादतियाँ हुईं। जिन स्त्रियों का अपहरण किया गया था, उनका विवाह उनके अपहर्ताओं के साथ करा दिया गया। धीरे-धीरे जब इन स्त्रियों ने अपने नए घरों और माहौल में स्वयं को किसी भी तरह व्यवस्थित कर लिया; तो इन दोनों देशों की सरकारों ने अपनी-अपनी स्त्रियों कीअदला-बदली करते हुए वापस लेने का निर्णय लिया। सोचा जा सकता है कि यह निर्णय कितना अमानवीय और अपमानजनक रहा होगा। सलिल मिश्र ने स्त्रियों की इस अदला-बदली की तुलना दो देशों के युद्धबन्दियों की अदला-बदली से की है। (DeccanHerald (SundayHerald; 12 अगस्त 2012)।इस सारी कार्रवाई का असर इन स्त्रियों की मानसिकता पर बहुत घातक रूप में पड़ा। ये स्त्रियाँ दो-दो बार अपने स्थानों से विस्थापित हुईं। पहले तो अपने मूल घरों से और फिर उस परिवेश से जिसे उन्होंने (अपहरण और अपहरणकर्ता के साथ विवाह के बाद) अपना लिया था। अपने माथे पर अपहरण और बलात्कार का कलंक ओढ़े इन औरतों को अपने मूल घरों में पुनः खपने में भारी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ा। अनेक लोगों ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अनेक कहाँ बिला गईं, पता ही नहीं चला! विभाजन की त्रासदी का यह वह कहर है, जो केवल औरत पर टूटा।(द्रष्टव्य : (DeccanHerald (Sunday Herald; 12 अगस्त 2012)।

4. स्त्रियों के इस दुतरफ़ा विस्थापन और अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी भारत-विभाजन की एक शर्मनाक परिघटना के रूप में सामने आती है। दोनों देशों की सरकारों द्वारा स्त्रियों की अदला-बदली एक हास्यास्पद कदम तो था ही, यह स्त्रियों के लिए एक नई लाइलाज़ समस्या लेकर उपस्थित हुआ। ऊपर कहा गया कि जब ये स्त्रियाँ अपने स्वदेश मूल घरों पर पहुँचीं तो इनके घरवालों ने इन्हें स्वीकार नहीं

किया।सोचने की बात है कि ये स्त्रियाँ फिर कहाँ गई होंगी! हो सकता है, कुछ ने कूएँ में छलाँग लगा ली हो, किसी ने रेल के नीचे कटकर जान दे दी हो, कोई अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठी हो और पागलखाने पहुँच गई हो, या किसी ने कुछ और कर लिया हो! यानी कि यह एक बड़ी भयावह स्थिति थी। उस समय के साहित्य में यह यथार्थ सशक्त रूप से चित्रित हुआ है। इस सम्बन्ध में सआदत हसन मंटो की कहानियाँ देखी जा सकती हैं।

विस्थापित और लौटी हुई स्त्रियों के साथ घरवालों का यह व्यवहार कितना अमानवीय और बर्बर था, इसकी भनक इस बात से भी मिलती है कि उस समय महात्मा गाँधी और प्रधानमंत्री जवाहरलालनेहरू दोनों ने अपने-अपने स्तर पर इस प्रवृत्ति की आलोचना की थी।गाँधीजी ने 7 दिसम्बर, 1947 की प्रार्थना-सभा में हिन्दू और सिख परिवारों और समुदायों द्वारा विभाजन के दंगों में अपहरण/बलात्कार की शिकार हुई स्त्रियों के पाकिस्तान से प्रत्यावर्तन के उपरान्त अंगीकार न किए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था- "वह पति बर्बर है और वे माँ-बाप बर्बर हैं, जो अपनी पत्नी/पुत्री को वापस अपना नहीं रहे हैं। इसमें मेरे विचार से उस स्त्री का कोई क़सूर नहीं है। वे तो हिंसा की शिकार हुई हैं। इन स्त्रियों पर कलंक लगाना और इन्हें समाज में स्वीकार-योग्य न मानना अन्यायपूर्ण है।" (Mookerjea-Leonard, Debali; Cornell University,Ithaca, New York,USA; The Journal of Commonwealth Literature; Vol 40, Issue 2, 2005)।इसी तरह जवाहरलालनेहरू ने जनवरी 1948 को लगभग ऐसी ही एक अपील की- "यह एक बहुत ही आपत्तिजनक और ग़लत रवैया है। जो सामाजिक रीति-रिवाज़ इसका समर्थन करते है, वह भर्त्सनीय है। इन स्त्रियों को हमारे कोमल और प्यार-भरे संरक्षण की जरूरत है।" (वही)

असल में अपहृत स्त्रियों के लौटने के मामले में जेंडर के आधार पर दोहरा मापदण्ड अपनाया गया।तहमीना खान ने The Express Tribune (Blogs)में 13 अगस्त 2015 को प्रकाशित अपने लेख 'End of silence: A woman's narrative of the 1947 Partition' में भारत के Abducted Person's (RecoveryandRestoration) Act 1949 का सन्दर्भ लेते हुए लिखाथा- "16 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को यह विकल्प दिया गया था कि वे अभी जहाँ हैं,वहाँ चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन स्त्रियों पर राज्य द्वारा इसे थोप दिया गया था। उन्हें, यदि उनके कोई बच्चे हैं तो उन्हें वहीं छोडकर आने को कहा गया। यदि वे गर्भवती थीं तो बावज़ूद इसके कि गर्भपात ग़ैर-क़ानूनी था, उनका गर्भपात कराया गया।" (खान, तहमीना: The Express Tribune (Blogs); 13 अगस्त 2015)।

5. विभाजन के समय अपनी स्त्रियाँ विधर्मियों के हाथ न पड़ जाएँ, इसके लिए स्त्रियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं के उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं। इन स्त्रियों के सामूहिक आत्महत्या के इस निर्णय के पीछे कौन थे, इस बारे में मतैक्य नहीं है।विधर्मियों के हाथ में पड़ने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस पर ऊपर चर्चा की गई।यौन-हिंसा, बलात्कार, जबरन विवाह के अतिरिक्त धर्म-परिवर्तन एक बड़ी परिघटना के रूप में सामने आया। विवाह के लिए स्त्री का धर्म बदलवाना जरूरी था।धर्म-परिवर्तन विधर्मी पर वर्चस्व के प्रतीक की तरह प्रचलित हुआ।विधर्मियों की स्त्रियों का अपहरण करना, फिर उनसे विवाह करने के लिए उनका धर्म-परिवर्तन कराना; यह एक निरन्तर चलने वाला सिलसिला था।यह नौबत न आए, इसलिए स्त्रियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के क़दम उठाने के उदहारण पाए जाते हैं।अन्वेषासेन गुप्ता ने अपने एक लेख 'Looking Back at Partirion and Women: A Factsheet' में इस तथ्य का विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है कि स्त्रियाँ अपने व्यवहार द्वारा पितृसत्तात्मकता का अन्तर्निर्वहन करती देखी जाती हैं। अपने धर्म की पवित्रता और विशुद्धता को बचाए रखने के सिलसिले में स्त्रियों ने सामूहिक आत्महत्याएँ कीं।अन्वेषासेन गुप्ता ने इसका एक उदहारण देते हुए लिखा है कि रावलपिंडी के पास के थोया खालसा नामक गाँव में कोई 96 स्त्रियों ने इस डर से कि कहीं उनका धर्म परिवर्तन न हो जाए,कूएँ में कूदकर अपनी जान दे दी। (द्रष्टव्य : सेनगुप्ता, अन्वेषा; 'Looking Back at

Partirion and Women: A Factsheet' शीर्षक लेख ; www.wiscomp.org/ peaceprints.htm)।

6. विभाजन के परिणामस्वरूप शरणार्थी-समस्या उत्पन्न हुई।इसमें पुरुष शरणार्थी भी थे तथा महिला शरणार्थी भी। लेकिन जेंडर के आधार पर दोनों की समस्याएँ, पीड़ाएँ एक-दूसरे से भिन्न थीं।अन्वेषासेनगुप्ता ने अपने उक्त लेखमें भारत राज्य द्वारा पंजाब और बंगाल के शरणार्थियों के लिए अलग-अलग मानदण्ड अपनाए जाने का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल की बजाय पंजाब के शरणार्थियों को सरकार ने ज़्यादा महत्व दिया था।इन दोनों क्षेत्रों की महिला शरणार्थियों के बीच भी विभेद किया जाता था। जैसे कि पंजाब की महिला शरणार्थियों को भत्ते के बतौर 20 रुपए मिलते थे, जबकि बंगाल की महिला शरणार्थियों को मात्र 12 रुपए मिलते थे। (द्रष्टव्य : सेनगुप्ता, अन्वेषा; 'Looking Back at Partirion and Women: A Factsheet' शीर्षक लेख ; www.wiscomp.org/peaceprints .htm)।

## जेंडर-दृष्टि से इतिहास का अध्ययन

अन्ततः बतौर निष्कर्ष हम अब यह कह सकते हैं कि भारत-विभाजन की ऐतिहासिक घटना का स्त्रियों की ज़िंदगियों पर पुरुषों से अलग कुछ विशिष्ट ही प्रभाव पड़ा था। जैसा कि हमने देखा, ये प्रभाव व्यक्तिगत, सामाजिक एवम् आर्थिक सब प्रकार के थे। जेंडर की भिन्नता के चलते प्रभावों की यह भिन्नता देखने में आती है। स्त्री-दृष्टि से जब भी हम भारत-विभाजन पर बात करेंगे, लगभग इसी तरह के निष्कर्षों तक पहुँचेंगे। एक तरह से स्त्री-दृष्टि से यह इतिहास का पुनरवलोकन (रेविज़िटिंगहिस्ट्री) होगा। इस दृष्टि से इतिहास का पुनरवलोकन आवश्यक है, क्योंकि इससे इतिहास का असल रूप हमारे सामने उजागर होता है। राज्य, राज्य के अंगोपांगों,जनता के विभिन्न वर्गों/समूहों इत्यादि ने किसी काल-विशेष या संक्रमणात्मक स्थिति में कब क्या कैसी भूमिका निभायी; यह इससे बख़ूबी उकेरा जा सकता है। स्त्री-दृष्टि से इतिहास का पुनरवलोकनऔर पुनर्मूल्यांकन जब हम करते हैं तो यह भीषण तथ्य भी हमारे सामने आकर उपस्थित होता है किस्त्री के प्रति भारत जैसे देशों में अभी भी देहवादी, सेक्सवादी, लम्पट रवैया अधिकतर देखने में आता है। स्त्री को उसकी जाति, वर्ग, कुटुम्ब, देश इत्यादि का प्रतीक-प्रतिनिधि मानकर उसे अपमानित, ज़लील, पददलित कर उसकी पूरी जाति, वर्ग, कुटुम्ब, देश इत्यादि से 'बदला' लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं,भारत-विभाजन के दौरान यह सर्वत्र देखने में आया।साम्प्रदायिक दंगों में स्त्रियों पर जबर्दस्त यौन-हिंसा हुई। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, अगवा कर इधर-उधर कर देना इत्यादि वारदातें खूब हुईं। पुरुषों को इस सारी ज़िल्लत से नहीं गुज़रना पड़ता। औरतों को ही यह सब झेलना पड़ता है। दरअसल इसीलिए जेंडर-दृष्टि से इतिहास का अध्ययन-पुनरध्ययन निहायत ज़रूरी है।